स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम : **श्री हरिशंकर प्रसाद एजूकेशनल सोसाइटी**

2. संस्था का स्थायी पता : ग्राम+पोस्ट–चितबड़ागाँव, तहसील–बलिया, जनपद–बलिया (उ0प्र0)

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4. संस्था का उद्देश्य :

(क) बालक, बालिकाओं तथा प्रौढ़ स्त्री–पुरुषों की समुचित शिक्षा हेतु प्रारम्भिक स्तर से उच्च स्तर तक के सामान्य, तकनीकी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं प्रशिक्षण विद्यालयों/महाविद्यालयों की स्थापना, संचालन एवं प्रबन्धन करना।

(ख) असहाय, निर्धन, विकलांग, निराश्रित एवं मेधावी छात्रों की समुचित शिक्षा व्यवस्था हेतु छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करना।

(ग) क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के हस्तकलाओं से समुचित शिक्षा व्यवस्था हेतु छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करना।

(घ) संस्था द्वारा संचालित विभिन्न विद्यालयों, इकाईयों, प्रशिक्षण केन्द्रों तथा संस्थाओं के छात्रों प्रशिक्षार्थियों तथा कामकाजी महिलाओं के लिए आश्रमों एवं छात्रावासों का निर्माण एवं संचालन करना।

(च) केन्द्रीय, प्रादेशिक, अन्तर्राष्ट्रीय एवं अर्द्धसरकारी मंत्रालयों, सरकारों तथा विभागों एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक, औद्योगिक, रचनात्मक एवं विभिन्न प्रकार के विकास कार्यक्रमों को अपनाना तथा उनके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करना तथा उनसे वित्तीय सहायता प्राप्त करना।

(छ) उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु चल एवं अचल सम्पत्ति को क्रय करना, पट्टे एवं किराये पर लेना, विनियोग, उपहार या दान स्वरुप प्राप्त करना तथा इस प्रकार की सम्पत्ति को अधिग्रहण स्वरुप प्राप्त करना।

(ज) उपर्युक्त लक्ष्यों को पूर्ति हेतु किसी चल या अचल सम्पत्ति की समुचित व्यवस्था, विक्रय या किराये पर उपहार स्वरुप प्रदान करना या गिरवी रखना, ऋण लेना अथवा धन इकट्ठा करना।

(झ) उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कोष का निर्माण एवं प्रबन्धन करना।

(ट) ऐसे सभी कार्य करना जो उपरोक्त लक्ष्यों या उनमें से किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति में योग दें अथवा लाभप्रद हो।

(ठ) सामाजिक उत्थान एवं पुनर्जागरण के कार्य करना।

नियमावली

1. संस्था का नाम : **श्री हरिशंकर प्रसाद एजूकेशनल सोसाइटी**

2. संस्था का स्थायी पता : ग्राम+पोस्ट–चितबड़ागाँव, तहसील–बलिया, जनपद–बलिया (उ0प्र0)

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4. संस्था की सदस्य संख्या : संस्था में कम से कम 15 (पन्द्रह) और अधिकतम 25 (पच्चीस) सदस्य होंगे। यह धारा अपरिवर्तनीय है।

5. संस्था के सदस्य : इस संस्था का एक संस्थापक मण्डल होगा। संस्थापक मण्डल का बोर्ड आफ ट्रस्टीज या न्याय परिषद कहा जाएगा। संस्थापक सदस्य, आजीवन सदस्य और स्थानापन्न इसके न्यासी या सदस्य होंगे।

(क) **संस्थापक सदस्य–** वे व्यक्ति जिन्होंने संस्था का स्थापना में प्रारम्भ से ही तन, मन, धन से सहयोग दिया है, जिनके त्याग, बलिदान और योगदान से संस्था अस्तित्व में आयी है, जिनका नाम स्मृति–पत्र पर अंकित है और इनकी संख्या वर्तमान में 18 है, उन्हें संस्थापक सदस्य कहा जायेगा और ये संस्थापक सदस्य श्री हरिशंकर प्रसाद एजूकेशनल सोसाइटी, चितबड़ागांव, बलिया के आजीवन सदस्य भी होंगे।

(ख) **आजीवन सदस्य–** इस संस्था के अस्तित्व में आने (पंजीकरण) के तीन वर्षों की अवधि तक संस्था हेतु आजीवन सदस्य बनाने का अधिकार संस्थापक सदस्यों के मण्डल में निहित होगा और वे किसी भी पात्र व्यक्ति को न्यास का आजीवन सदस्य रु. 21000/– मात्र (इक्कीस हजार रु0) सदस्यता शुल्क स्वीकार करके अपनी किसी भी बैठक में उपस्थित कम से कम दस सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प से बना सकते हैं परन्तु संस्थापक और आजीवन सदस्यों की संख्या का योग 25 (पच्चीस) से अधिक नहीं होगा। तीन वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात आजीवन सदस्यों को बनाने की प्रक्रिया धारा 11 की उपधारा 'ख' में उल्लिखित प्रक्रिया के प्राविधानों के अनुसार सम्पन्न होगी।

(ग) **स्थानापन्न सदस्य–** स्थानापन्न नियमावली की धारा–'8' के प्राविधानों के अन्तर्गत बनाये जायेंगे। ये न्यास के आजीवन सदस्य होंगे।

6. **सदस्यता की समाप्ति** : संस्था के किसी भी सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित परिस्थितियों में स्वतः समाप्त हो जाएगी अथवा उसे साधारण सभा द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा।

(क) सदस्य के मृत्यु के उपरान्त स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(ख) त्याग पत्र के स्वीकार हो जाने पर स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(ग) पागल या दिवालिया (सक्षम अधिकारी द्वारा) घोषित होने पर स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(घ) लगातार तीन सामान्य बैठकों में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर साधारण सभा द्वारा समाप्त की जा सकती है।

(ङ) आर्थिक, भ्रष्टाचार या नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित हो जाने पर साधारण सभा द्वारा समाप्त की जा सकती है।

(च) संस्था के या संस्था द्वारा संचालित किसी विद्यालया या इकाई के हित के विरुद्ध कार्य करने के दोषी होने अथवा आभास होने मात्र पर साधारण सभा द्वारा समाप्त कर दी जाएगी।

(छ) अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर साधारण सभा द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

7. **सदस्य बनने की योग्यता** : इस संस्था का कोई भी व्यक्ति सदस्य बन सकता है जो

(क) भारत का नागरिक हो।

(ख) स्वस्थ चित्त का हो।

(ग) व्यस्क हो।

(घ) किसी भी न्यायालय द्वारा देशद्रोह या किसी भी प्रकार के नैतिक अपराध के लिए दण्डित न किया गया हो।

8. **स्थानापन्न सदस्य** : संस्थापक सदस्य की मृत्यु के उपरान्त उसको उत्तराधिकारी अथवा उत्तराधिकारी गण संस्था के न्यासी परिषद (बोर्ड ऑफ ट्रस्टी) के आजीवन सदस्य नियमावली के धारा–11 की उपधारा ख में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत बनाये जायेंगे। ऐसी सुविधा संस्थापक सदस्य के एक वरिष्ठ उत्तराधिकारी को ही उपलब्ध होगी परन्तु साधारण सभा के सदस्यों की संख्या में कमी की दशा में एक संस्थापक सदस्य के

एक से अधिक उत्तराधिकारियों को भी आजीवन सदस्य बनाया जा सकता है परन्तु किसी भी दशा में साधारण सभा के सदस्यों की संख्या 25 (पच्चीस) से अधिक नहीं होगी और सदस्य न बनने का दशा में किसी भी उत्तराधिकारी द्वारा कोई वाद किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। इन्हें कोई शुल्क देय नहीं होगा।

9. **संस्था के अंग** : संस्था के दो अंग होंगे–

1. साधारण सभा (न्यासी परिषद या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज)
2. प्रबन्धकारिणी समिति।

10. **साधारण सभा**

(क) **गठन**–साधारण सभा का गठन नियमावली की धारा–5 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत होगा। इनकी संख्या कम से कम 15 और अधिक से अधिक 25 (पच्चीस) होगी। इसका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

(ख) **बैठकें–**

1. **सामान्य बैठकें**– साधारण सभा की एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बैठक होगी और इसमें संस्था का वार्षिक लेखा–जोख (बजट) पारित होगा। बैठक की तिथि, स्थान एवं विषय सूची का निर्धारण सचिव/प्रबन्धक द्वारा अध्यक्ष की सहमति से किया जायेगा।

2. **विशिष्ट बैठकें**– साधारण सभा की विशिष्ट या आपातकालीन बैठक किसी भी समय मात्र 4 (चार) सदस्यों के लिखित निवेदन पर तीन दिन अथवा 24 (चौबीस) घंटे का समय देकर सचिव/प्रबन्धक द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से बुलाई जा सकती है। इस प्रकार की बैठकों का आयोजन विशिष्ट कार्य के लिए ही होगा। साधारण विषयों पर विचार हेतु विशिष्ट बैठक का आयोजन नहीं होगा।

(ग) **सूचना अवधि–**

1. **सामान्य बैठक**– इस प्रकार की बैठक की सूचना सदस्यों को उचित माध्यम से कम 30 दिन पूर्व देनी आवश्यक होगी।

2. **विशिष्ट बैठक**– इस प्रकार की बैठक तीन दिन अथवा अत्यावश्यक होने पर 24 घण्टे की अल्प सूचना पर भी बुलाई जा सकती है।

(घ) **गणपूर्ति–**

1. सामान्य बैठकों में साधारण सभा के कुल सदस्यों की संख्या की आधे सदयों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित हो जायेगी।

2. विशिष्ट बैठक में साधारण सभा के कुल सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित हो जायेगी।

3. गणपूर्ति के अभाव में स्थगित सामान्य या विशिष्ट बैठक को सचिव/प्रबन्धक अड़तालिस (48) घंटे के पश्चात् पुनः कभी भी आहूत कर सकता है। स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। परन्तु इस बैठक में अध्यक्ष और सचिव/प्रबन्धक तथा साधारण सभा के चार सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित पुनः आहूत बैठक की तिथि, स्थान एवं समय का निर्धारण स्थगित बैठक में ही सचिव/प्रबन्धक द्वारा की जायेगी तथा इस घोषणा की सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उसी दिन चस्पा कर दी जायेगी तथा इस घोषणा की सूचना स्थानीय सदस्यों को चौबीस घण्टे के अन्दर या दूसरे दिन तक दूत द्वारा दी जायेगी तथा बाकी सदस्यों को दूरसंचार द्वारा दी जायेगी।

टिप्पणी: किसी भी बैठक में निर्धारित समय के चार घण्टे बाद ही गणपूर्ति के अभाव में बैठक को स्थगित करने की घोषणा की जायेगी।

11. **साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य–**

(क) साधारण सभा ही संस्था की प्रशासकीय वर्ग होगी। धारा पांच में उल्लिखित सभी सदस्य साधारण सभा के सदस्य होंगे। इनकी संख्या कम से कम 15 (पन्द्रह) और अधिक से अधिक 25 (पच्चीस) होगी। इस उपधारा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(ख) साधारण सभा की नियमावली की धारा (5) की उपधारा ''ख'' में उल्लिखित आजीवन सदस्य का चयन निम्न प्रक्रिया से होगा।

प्रक्रिया–

(अ) किसी नये आजीवन सदस्य का चयन साधारण सभा इसी विशेष उद्देश्य से बुलाई गई बैठक में करेगी। इस विशेष उद्देश्य से बुलाई गई बैठक में संस्था के कुल सदस्यों की संख्या के दो तिहाई (2/3) सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी और इस बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों के तीन चौथाई (3/4) बहुमत के आधार पर ही नये सदस्य को चयनित किया जायेगा। इस बैठक में अध्यक्ष और सचिव/प्रबन्धक की उपस्थिति अनिवार्य होगी। गणपूर्ति के अभाव में नये सदस्य का चयन नहीं होगा। इस बैठक में सदस्य बनने के केवल उन्हीं इच्छुक व्यक्तियों के आवेदन पत्रों पर विचार होगा जिनके आवेदन पत्र पिछले सत्र में सचिव/ प्रबन्धक या अध्यक्ष को प्राप्त हो गए हों तथा साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत हो चुके हों तथा जिसका वर्णन पिछले सत्र के कार्यवाही रजिस्टर में हो चुका हो। साधारण सभा के निर्णय के बाद नये चयनित सदस्य को उसके चयन की सूचना सचिव/प्रबन्धक द्वारा आवेदन पत्र पर लिखे पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जायेगी और धारा 5 (पांच) ''ख'' में उल्लिखित धनराशि को उल्लिखित तरीके से सचिव/प्रबंधक के पास तीस दिन के अन्दर जमा करने की अनुमति दी जायेगी।

1. चयनित सदस्य को भेजी जाने वाली सूचना उसी बैठक में लिखी जायेगी और अध्यक्ष, सचिव/प्रबंधक तथा उपस्थित सदस्यों में से कम से कम दो सदस्यों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जायेगी। इस सूचना की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर सभी सदस्यों की उपस्थिति में चस्पा कर दी जायेगी।

2. चयनित सदस्य को सूचना प्राप्ति के तीस दिन के अन्दर धनराशि जमा कर देनी होगी अन्यथा उसका चयन रद्द समझा जायेगा। इस उपधारा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(ब) भाग–11 (ग्यारह) की उपधारा ठ, ड और त (उपरोक्त तीनों धाराओं) का निर्णय साधारण सभा द्वारा उन्हीं विषयों पर बुलाई गई विशेष बैठक में दो तिहाई (2/3) बहुमत से लिया जाएगा। इस बैठक की गणपूर्ति साधारण सभा के कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई (2/3) सदस्यों की होगी। इस बैठक में अध्यक्ष या सचिव/प्रबन्धक में से किसी एक ही उपस्थिति अनिवार्य होगी। गणपूर्ति के अभाव में कभी भी निर्णय नहीं लिया जायेगा। इस प्रक्रिया में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(च) संस्था द्वारा संचालित सभी विद्यालयों तथा इकाईयों की चल तथा अचल सम्पत्तियों पर स्वामित्व रखना।

(छ) संस्था द्वारा संचालित प्रत्येक विद्यालय तथा इकाईयों के वार्षिक आय, व्यय का अनुमोदन करना तथा उनकी प्रगति के लिए नीति निर्धारित करना।

(ज) संस्था द्वारा संचालित विद्यालयों या इकाईयों के प्रबन्ध समितियों द्वारा प्रस्तुत विवरण पर विचार करना।

(झ) जाँच तथा प्रतिवेदन हेतु उपसमितियों का निर्माण करना।

(ट) विभिन्न विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के पथ प्रदर्शन हेतु दिशा निर्देश का निर्धारण करना।

(ठ) संस्था द्वारा संचालित किसी भी विद्यालय, इकाई या संस्था की प्रबन्ध समिति में कोई विवाद, मतभेद या दलबन्दी उत्पन्न हो जाय और वह प्रबन्ध समिति उस विद्यालय, इकाई या संस्था का सम्यक संचालन न कर सके तो ऐसी स्थिति में उस विद्यालय, इकाई या संस्था का संचालन, उस प्रबन्ध समिति के सारे अधिकारों को स्थगित करके या उस प्रबन्ध समिति को रद्द करके साधारण सभा उसका प्रबन्धन उस समय तक करेगी जब तक वह प्रबन्ध समिति सामान्य स्थिति में न आ जाय उसका नया निर्वाचन न हो जाय। ऐसी स्थिति में साधारण सभा स्वयं या अलग से किसी उप समिति का गठन करके उसका संचालन कर सकती है।

(ड) संस्था के किसी भी सदस्य या संस्था द्वारा संचालित विद्यालयों, इकाईयों या संस्थाओं के किसी कर्मचारी या उनके प्रबन्ध समिति के सदस्यों को दण्डित, निष्कासित या निलम्बित करने का अधिकार साधारण सभा को होगा। इस विषय में साधारण सभा का निर्णय अन्तिम होगा।

(त) संस्था के नियमों तथा उपनियमों तथा संस्था द्वारा संचालित विद्यालयों, इकाईयों तथा संस्थाओं के इस संस्था द्वारा बनाये गये नियमों एवं उपनियमों में आवश्यकतानुसार धारा (19) के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

12. प्रबन्धकारिणी समिति :

(क) **गठन–** प्रबन्धकारिणी समिति में सदस्यों की संख्या 15 (पन्द्रह) होगी, इसमें दो शिक्षक प्रतिनिधि (मात्र एक वर्ष के लिए वरिष्ठताक्रम से) तथा विद्यालय का एक प्राचार्य होगा। शेष 11 या 12 (ग्यारह या बारह) सदस्य साधारण सभा से लिए जायेंगे। इन बारह सदस्यों में साधारण सभा सदस्यों के अतिरिक्त एक और प्रकार का सदस्य जिनका विवरण निम्नवत् है।

मनोनीत सदस्य– साधारण सभा के सभी सदस्य मिलकर, जनपद, राज्य या देश (भारत) के किसी शिक्षा शास्त्री, शिक्षा प्रेमी या सामाजिक कार्यकर्ता का मनोनयन प्रबन्ध समिति के सदस्य के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए कर सकते हैं। इन्हें कोई शुल्क देय नहीं होगा और ये प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी नहीं हो सकेंगे।

नोट– प्रबन्धकारिणी समिति के गठन हेतु मनोनीत सदस्य का चयन अनिवार्य नहीं है। शिक्षक प्रतिनिधि एवं प्राचार्य को छोड़कर शेष 11 या 12 (ग्यारह या बारह) सदस्यों का चयन साधारण सभा से भी हो सकेगा। मनोनीत सदस्यों के चयन की प्रक्रिया का निर्धारण समय–समय पर साधारण सभा द्वारा तय किया जायेगा।

(ख) **बैठकें–**

(क) **सामान्य बैठक–** वर्ष में दो बार होगी। बैठक की तिथि, स्थान और समय का निर्धारण सचिव/प्रबन्धक, अध्यक्ष की सहमति से करेगा।

(ख) **विशिष्ट बैठकें–** प्रबन्धकारिणी समिति की आपातकालीन बैठक किसी भी समय अध्यक्ष, सचिव/प्रबन्धक या समिति के चार या चार से अधिक सदस्यों की मांग पर सचिव/प्रबन्धक बुला सकता है। बैठक की तिथि व समय का निर्धारित सचिव/प्रबन्धक, अध्यक्ष की सहमति से करेगा।

(ग) **सूचना अवधि–** इस नियमावली की धारा 10 (दस) की उपधारा ''ग'' और ''टिप्पणी'' के प्राविधानों के अनुसार।

(घ) **गणपूर्ति–** भाग (दस) की उपधारा ''घ'' और टिप्पणी के प्राविधानों के अनुसार।

(च) **रिक्त स्थानों की पूर्ति–** प्रबन्धकारिणी समिति में रिक्त स्थान होने पर साधारण सभा के सदस्यों में से किसी व्यक्ति का चयन पदाधिकारी या सदस्य के रूप में प्रबन्ध समिति के शेष कार्यकाल के लिए प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा।

13. **प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य–**

(क) विद्यालय के बजट पर विचार करना तथा उसे स्वीकृत करना।

(ख) विद्यालय के आय–व्यय का उचित ढंग से रख–रखाव करना तथा वार्षिक हिसाब तैयार करना।

(ग) साधारण सभा में विद्यालय हेतु लिए गए निर्णयों का सिंहावलोकन कर उचित कार्यवाही करना।

(घ) संस्था द्वारा संचालित विद्यालयों के लिए किसी भी प्रकार का धन चल या अचल सम्पत्ति या ऋण प्राप्त करना, उसकी व्यवस्था करना या संस्था की इकाईयों की प्रगति में उसका उपयोग करना।

(च) अध्यापक एवं प्रधानाचार्य तथा अन्य कर्मचारियों के चुनाव के लिए अधिनियम एवं विनियम के अनुसार चयन समिति की नियुक्ति करना।

(छ) विद्यालय की सभी प्रकार की धनराशियों सम्पत्तियों का नियंत्रण, प्रबन्धन तथा संचालन करना।

14. **प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल** : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। तीन वर्ष एक माह पश्चात् प्रबन्धकारिणी समिति स्वतः ही भंग समझी जाएगी।

15. **साधारण सभा/प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारी**:

1. अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष
3. सचिव/प्रबन्धक
4. उपसचिव/उप प्रबंधक
5. कोषाध्यक्ष

साधारण सभा के सदस्य पदाधिकारी ही प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारी होंगे। पदाधिकारियों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।

पदाधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया–

धारा 15 (पन्द्रह) में उल्लिखित पदाधिकारियों का चुनाव उनके कार्यकाल की अवधि समाप्ति के एक माह पूर्व सम्पन्न हो जायेगा। नये चुनाव की तिथि का निर्धारण सचिव/प्रबन्धक, अध्यक्ष की सहमति से चुनाव से पूर्व सम्पन्न होने वाली साधारण सभा की बैठक में करेगा और चुनाव की तिथि एवं चुनाव प्रारम्भ होने का समय कार्यवाही रजिस्टर में लिखेगा। चुनाव के निर्धारित तिथि से कम से कम दो माह पूर्व, सचिव/प्रबन्धक द्वारा रजिस्टर्ड डाक द्वारा सदस्यों के स्थाई पते तथा अन्तिम ज्ञात पते पर दी जायेगी तथा संस्था के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कर दी जायेगी। यदि किन्ही कारणों से नया चुनाव सम्पन्न नहीं हो पाया तो नये चुनाव तक का यही पदाधिकारी बने रहेंगे, परन्तु यह अवधि एक माह से अधिक नहीं होगी।

16. **पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य**:

(क) **अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–**

1. संस्था के साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा बैठकों के दिनांकों का अनुमोदन करना।
2. किसी विचारणीय विषय पर समान मत होने पर निर्णायक मत या द्वितीय मत देकर उसका निर्णय करना।
3. समय–समय पर संस्था द्वारा संचालित विद्यालयों के उचित प्रशासन के लिए निर्देश देना तथा उनकी व्यवस्था एवं प्रबन्ध से संबंधित विषयों पर सामान्य नियंत्रण रखना।
4. अपना कोई अधिकार उपाध्यक्ष या सचिव/प्रबन्धक को स्थानान्तरित करना।

(ख) **उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–**

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. अध्यक्ष के कार्यों में मदद करना तथा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित दायित्व का निर्वहन करना।

(ग) **सचिव/प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य–**

1. संस्था द्वारा संचालित विद्यालयों तथा इकाईयों के प्रधानाचार्यों की, चरित्र पंजिकाओं में प्रविष्टि करना।
2. संस्था के लिए समस्त दान, अनुदान या चन्दा प्राप्त करना तथा रसीद देना।
3. संस्था द्वारा संचालित विद्यालयों, इकाईयों तथा संस्थाओं के भवनों तथा फर्नीचरों एवं समस्त आवश्यक सामग्रियों की देखभाल करना तथा रख–रखाव की व्यवस्था करना तथा उनका मरम्मत साधारण सभा द्वारा इस मद में स्वीकृत धन के अन्तर्गत करना।
4. संस्था के कार्य से सम्बन्धित समस्त कागजात को रखना तथा समय–समय पर विभिन्न विभागों द्वारा माँगी गई आख्यावार सूचना या विवरण उपलब्ध कराना।
5. संस्था से सम्बन्धित सभी प्रकार के पत्र व्यवहार करना।
6. समस्त बैठकों की कार्यवाही, कार्यवाही रजिस्टर में लिपिबद्ध करना तथा कार्यवाही रजिस्टर रखना।
7. समस्त बैठकों का आयोजन करना तथा नियमानुसार बैठकों की सूचना।
8. संस्था के कोष का संचालन करना।
9. संस्था द्वारा संचालित विद्यालयों, इकाईयों तथा संस्थाओं के लिए आवश्यक सामग्रियों का साधारण सभा द्वारा स्वीकृत धन के अन्तर्गत क्रय करना।
10. संस्था से सम्बन्धित समस्त वैधानिक मामलों में प्रतिनिधित्व करना तथा संस्था की ओर से मुकदमा दायर करना तथा संस्था पर दायर मुकदमों की पैरवी करना।
11. साधारण सभा के निर्णयों का पालन करना।
12. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में साधारण सभा और प्रबन्धकारिणी में साधारण सभा और प्रबन्धकारिणी सभा की बैठकों का आयोजन करना।

(घ) **उप सचिव/उप प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य–**

1. सचिव/प्रबन्धक की अनुपस्थिति या उसके कार्य करने की असमर्थता की स्थिति में सदस्यों को बतौर सचिव/प्रबन्धक सूचना देना।
2. सचिव/प्रबन्धक द्वारा जिन अधिकारों एवं कर्तव्यों की लिखित स्वीकृति प्राप्त हुई हो, उन्हें प्रयोग में लाना।

(च) **कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–**

संस्था से सम्बन्धित सभी प्रकार के कार्यों एवं रुपये पैसे का लेखा–जोखा रखना। वार्षिक आय–व्यय का विवरण रखना, आय–व्यय निरीक्षक की रिपोर्ट रखना तथा अध्यक्ष या सचिव/प्रबन्धक की मांग पर साधारण सभा या प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों में प्रस्तुत करना तथा आर्थिक स्थिति के विषय में उचित परामर्श देना।

17. **संस्था का कोष एवं उसका संचालन**: किसी भी स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक में संस्था से खाता खोलकर संस्था के समस्त धनराशियों को जमा किया जायेगा। कोष का संचालन सचिव/प्रबन्धक के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

18. **संस्था के अभिलेख** : संस्था के निम्नलिखित अभिलेख होंगे–

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. सदस्यता रजिस्टर
3. स्टाक रजिस्टर
4. कैश बुक रजिस्टर

19. **संस्था के नियमों एवं उपनियमों में संशोधन–**

साधारण सभा इस नियमावली तथा इस संस्था के द्वारा संचालित विद्यालयों, इकाईयों तथा संस्थाओं के इस संस्था द्वारा बनाये गये नियमों या उपनियमों (धाराओं या उपधाराओं) को आवश्यकतानुसार संशोधित परिवर्तित या भंग कर सकती है अथवा कोई नया नियम या उपनियम (धारा या उपधारा) जोड़ सकती है। संशोधन धारा 11 (ग्यारह) की प्रक्रिया (ख) के अनुसार होगा।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि नियमावली की जिस धारा या उपधारा या प्रक्रिया में यह लिखा है कि इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। नही उसको भंग किया जा सकता है और न ही उस धारा, उपधारा या प्रक्रिया में कोई नई धारा, उपधारा या प्रक्रिया को जोड़ी जा सकती है।

20. टिप्पणी : उन सभी विषयों में जिनका समादेश नियमावली में नहीं किया गया है। साधारण सभा या प्रबन्ध समिति या सम्बन्धित विद्यालय के निर्णय जो संस्था के नियमों एवं लक्ष्यों तथा उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप है, मान्य होंगे।

21. संस्था का विघटन : सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धाराओं के प्राविधानों के अनुसार संस्था का विघटन किया जा सकता है।

22. आय–व्यय निरीक्षक

(क) यह साधारण सभा द्वारा चुना जायेगा। निरीक्षकों का साधारण सभा का सदस्य होना अवश्यक नहीं है। इनकी संख्या एक से अधिक नहीं हो सकती है। इनका चुनाव प्रति वर्ष बैठक में उपस्थित सदस्य के साधारण बहुमत से होगा। इनकी पुनरावृत्ति हो सकती है।

(ख) निरीक्षक की मांग पर सम्बन्धित व्यक्ति को निरीक्षक द्वारा मांग गये अभिलेखों को निरीक्षक के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा तथा उसके द्वारा पूछे गये प्रश्नों का समुचित उत्तर देना होगा। निरीक्षक को आय–व्यय तथा सामग्रियों के क्रय, मरम्मत एवं स्टाक तथा भवनों के निर्माण एवं मरम्मत के विषय में किसी भी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी से लिखित जवाब मांगने का भी अधिकार होगा।

(ग) वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य संस्था से सम्बन्धित समस्त आय–व्यय का निरीक्षण करेगा। यदि आवश्यक हुआ तो साधारण सभा किसी विशेष आय–व्यय का आकस्मिक निरीक्षण करा सकती है या वर्ष में कई बार करा सकती है।

(घ) निरीक्षक को संस्था तथा संस्था द्वारा संचालित समस्त विद्यालयों, इकाईयों तथा संस्थाओं के समस्त वस्तुओं तथा समस्त अभिलेखों का जिनका सम्बन्ध संस्था के आय या व्यय से है निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(ग) वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य संस्था से सम्बन्धित समस्त आय–व्यय का निरीक्षण करेगा। यदि आवश्यक हुआ तो साधारण सभा किसी विशेष आय–व्यय का आकस्मिक निरीक्षण करा सकती है या वर्ष में कई बार करा सकती है।

(घ) निरीक्षक को संस्था तथा संस्था द्वारा संचालित समस्त विद्यालयों, इकाईयों तथा संस्थाओं के समस्त वस्तुओं तथा समस्त अभिलेखों का जिनका सम्बन्ध संस्था के आय या व्यय से है निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(ङ) निरीक्षक अपनी निरीक्षण आख्या तीन प्रति में तैयार करके एक प्रति अध्यक्ष और एक प्रति सचिव/प्रबन्धक को देकर एक प्रति अपने पास रखेगा और अपनी प्रति पर अध्यक्ष तथा सचिव/प्रबन्धक से पावती का हस्ताक्षर करा लेगा तथा किसी विशेष परिस्थिति में साधारण सभा की मांग पर अपनी प्रति को साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करेगा।

सामान्य व्याख्या–

1. यदि सदस्यों की संख्या गणना के अनुसार पूर्णांक में नहीं आ रही है तो सदस्यों की संख्या उस संख्या की अगली संख्या होगी। जैसे (क) 15 का 3/4 बारह (12) होगा। (ख) 11 का 3/4 नौ (9) होगा (ग) 8 का 2/3 छः (6) होगा इत्यादि।
2. सभी सदस्यों का ''एक'' अहस्तान्तरित मत का अधिकार प्राप्त होगा। किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष में समान मत होने की दशा में अध्यक्ष ही धारा 16 (सोलह) की उपधारा दो के अनुसार दो (2) मत देने का अधिकार होगा।
3. सभी बैठकों में, जिनमें गणपूर्ति का अभाव नहीं है, निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से किया जायेगा।

परन्तु इस नियमावली में जहाँ पर भी किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए विशेष बहुमत का उल्लेख है और आवश्यक गणपूर्ति का अभाव नहीं है, वहाँ निर्णय उसी बहुमत से लिया जायेगा।

♣♣♣

LIST OF MANAGING COMMITTEE

Approval by Letter of Registrar, V.B.S. Purvanchal University, Jaunpur Letter No. P.U.B.B./Affiliation/11-43 (2)/2004/7850 Dtd. 01.06.2009

(Period 05.04.2009 to 04.04.2014)

Sl. No.	Name	Father's Name	Designation
1	Shri Daya Shanker Prasad	Late Jamuna Ram	President
2	Dr. Dharmatma Nand	Late Hari Shankar Prasad	Manager
3	Shri Madan Mohan Prasad	Late Ram Krishna Sah	Vice-President
4	Shri Bijai Prasad Bhakat	Late Ramdas Ram	Vice-Manager
5	Shri Rajeev Kumar	Late Prem Shankar	Treasurer
6	Shri Ravi Jaiswal	Shri Viswanath Prasad	Member
7	Shri Rama Shankar Jaiswal	Shri Lal Chand Jaiswal	Member
8	Shri Pradeep Kumar Advocate	Late Chandra Mohan Prasad	Member
9	Dr. Madan Gopal Rai	Late Dr. Nand Kishore Rai	Member
10	Shri Vivek Kumar	Late Brij Kishore Prasad	Member
11	Shri Prahlad Das	Late Badri Prasad	Member
12	Shri Rajendra Prasad	Late Shri Ram Agrawal	Member
13	Dr. M. Moin Athar	Late M. Zahir Alam	Principal
14	Shri Abhay Kumar Srivastava	Shri Nagendra Lal	Teaching Member
15	Shri Bijendra Prasad	Shri Brij Lal	Non Teaching Member